उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक :- 643 **संकल्प** दिनांक :- 11.08.2020

विषयः— झारखण्ड प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रांची (SBTE) का आस्तियों एवं दायित्त्वों के साथ पूर्ण विलय के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के छात्रों को विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा हेतु 17 राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान कार्यरत है, साथ ही निजी क्षेत्र में 20 निजी पोलिटेकनिक तथा 01 PPP Mode पर पोलिटेकनिक कार्यरत है। इन संस्थानों के छात्रों का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा संचालन, परिणाम प्रकाशन तथा डिग्री प्रमाण पत्र देने का कार्य राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, रांची (SBTE) द्वारा की जाती थी।

02. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संकल्प संख्या 244 दिनांक 01.02.2012 द्वारा राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रांची (SBTE) की उपयोगिता एवं अन्य अनिवार्यता को देखते हुए इसे झारखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के अस्तित्त्व में आने तक इस आशय के साथ प्रभावी किया गया था कि तकनीकी विश्वविद्यालय के अस्तित्त्व में आने के बाद राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रांची इस विश्वविद्यालय में सन्निहित हो जायेगा।

03. विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.11.2015 द्वारा झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 अधिसूचित हुई एवं इसे राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से अस्तित्त्व में माना गया। उक्त अधिनियम की धारा 4(ii) में यह प्रावधान है कि "अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को तकनीकी शिक्षा देने अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ0भा0त0शि0प0), नई दिल्ली के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विद्यमान महाविद्यालय या संस्था, जो पर्षद अथवा राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त विद्यमान सभी महाविद्यालय या संस्था (कुछ डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं को छोड़कर) इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त माने जायेगे। साथ ही, अधिनियम की धारा 6(v) के तहत परीक्षा आयोजित एवं परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने, अधिनियम की धारा 31 (ढ) के तहत डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिये दीक्षान्त समारोह का आयोजन करना एवं 34 (ख) के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रावधान है।

04. झारखण्ड प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2018—19 से अस्तित्त्व में आ गया है एवं उनके द्वारा अभियंत्रण सत्र तथा डिप्लोमा सत्र का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा संचालन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

05. विदित है कि झारखण्ड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आवश्यकतानुसार पदों का सृजन विभागीय संकल्प संख्या 1124 दिनांक 12.04.2018 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के विभिन्न कोटि के पद पर कोई भी नियमित पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यरत नहीं है ऐसी स्थिति में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रांची के विभिन्न कोटि के सभी पदों को प्रत्यार्पित किया जाता है:—

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद में पदों की स्थितिः—

झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् अविभाजित बिहार द्वारा राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रांची के लिए निम्न पद हस्तांतरित किये गये हैः—			
क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान (अपुनरीक्षित)	राज्य बंटवारा के समय आवंटित स्वीकृत पद
01.	प्रोग्रामर	6500—10500	01
02.	लिपिक	4000—6000	05
03.	दफ्तरी	2610—3540	01
04.	आदेशपाल	2550—3200	01

झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद हेतु भी आवश्यकतानुसार पद सृजित किये गये है।				
क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	सृजित पदों की संख्या
01.	सचिव	PB-IV 37400—67000	9000	01 (प्रतिनियुक्ति पर)
02.	परीक्षा नियंत्रक	PB-IV 37400—67000	8000	01 (प्रतिनियुक्ति पर)
03.	उप परीक्षा नियंत्रक	PB-III 15600—39100	7000	01 (प्रतिनियुक्ति पर)
04.	प्रधान लिपिक—सह—लेखापाल	PB-II 9300—34800	4200	01
05.	लिपिक	PB-I 5200—20200	1900	02
06.	आशुलिपिक	PB-I 5200—20200	2400	01

06. राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रांची का चल एवं अचल सम्पत्ति यथाः पर्षद का भवन G+2, फर्नीचर, सभी प्रकार के मशीन एवं विभिन्न बैंको के बचत खाते में संचित राशि रूपये 15,00,89,366.09/— (पन्द्रह करोड़ नवासी लाख तीन सौ छियासठ रूपये नौ पैसे मात्र) को झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची में हस्तांतरित किया जाता है।

07. राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के सभी Legal दायित्त्व यथा Court Case एवं पावना रूपये 4,95,38,772.87/— (रूपये चार करोड़ पन्चान्वे लाख अडतीस हजार सात सौ बहत्तर रूपये सतासी पैसे मात्र) बोर्ड पर देय है वह सभी झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हस्तांतरित किया जाता है।

08. राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद द्वारा समय—समय पर संविदा पर अथवा बाह्य स्रोत से जो पद भरे गये है उन सभी कर्मियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है एवं भविष्य में यदि झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को कर्मियों की आवश्यकता होगी तो वे अपने नियमित पदों के विरूद्ध संविदा/बाह्य स्रोत से कर्मियों को रखने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

09. झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के सुसंगत प्रावधान एवं विज्ञान एव प्रावैधिकी विभाग के संकल्प संख्या 244 दिनांक 01.02.2012 के आलोक में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद का आस्तियों एवं दायित्त्वों के साथ पूर्ण विलय किया जाता है।

10. उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 22.07.2020 की बैठक के मद सं0 02 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार, झारखंड, रांची को प्रेषित की जाए।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

Sd/- 11/8/2020

(शैलेश कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—JUT 19/2018 643 /राँची, दिनांक :— 11.08.2020

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को आगामी अगले अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 50 प्रति उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

Sd/- 11/8/2020

(शैलेश कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—JUT/19/2018 643 /राँची, दिनांक :— 11.08.2020

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 11/8/2020

(शैलेश कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव